(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 22 / (2015–2020)
नई दिल्ली, दिनांकः– 01 अक्तूबर, 2020

विषयः– उड़द के आयात हेतु कोटे के आबंटन की प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना सा० आ० 3446 (अ) दिनांक 01.10.2020 के परिणामस्वरुप एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 7 के एचएसकोड 07133110, 07139010 और 07139090 के अंतर्गत 1.5 लाख मीट्रिक टन उड़द [एसपीपी विग्ना मुंगो (एल) हेपर की फलियां] के आयात हेतु कोटे के आबंटन की प्रक्रिया को राजकोषीय वर्ष 2020–21 हेतु दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की समयावधि के लिए अधिसूचित करते हैं।

2) उड़द का 1.5 लाख मी० टन का कोटा जून 2020 में उड़द के आयात के लिए कोटा आबंटित किए गए केवल पात्र और सत्यापित आवेदकों के बीच समान रुप से अथवा लागू मात्रा जो भी कम हो, वितरित किया जाएगा।

3) डीजीएफटी किसी भी समय उचित समझने पर आबंटन में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे आवेदक जिन्हें जून 2020 में उड़द के आयात हेतु लाइसेंस जारी नहीं किया गया था और तदोपरांत डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय स्तर के निरीक्षणों के दौरान जो दिए गए पतों पर मौजूद नहीं पाए गए अथवा जिन्होंने झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए उड़द के आयात हेतु अधिसूचना सा० आ० 3446 (अ) दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अधिसूचित कोटे के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

4) लाइसेंस जारी किए गए पात्र और सत्यापित आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उड़द के आयात की खेप भारतीय पत्तनों पर 31.03.2021 को अथवा इससे पहले पहुंचे। समयावधि को बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
01/10/2020

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/(भाग–IV)/ड.–5170 से जारी)